

177
न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12012 पुनरीक्षण

हरीशंकर पुत्र सन्तलाल, निवासी ग्राम
चमारी, तहसील बीना, जिला सागर म०प्र०

-- -- नावैदक

वनाम

रघुराजसिंह पुत्र देशराजसिंह,
निवासी ग्राम चमारी, तहसील बीना,
जिला सागर (म०प्र०)

2) म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, सागर,
जिला सागर

-- -- नावैदकगण

पुनरीक्षण नन्तगति धारा 40 म०प्र० मू-राजस्व संहिता
विरुद्ध नादेश दिनांकी 31 जुलाई 2017 पारित वदारा
श्री प्रमोदकुमार गुप्ता, न्यायालय नपर नायुक्त सागर
संभाग सागर, प्रकरण क्रमांक 474 न-23 वर्ष 2014-15
अपील वउनवान रघुराजसिंह वनाम हरीशंकर नादि।

माननीय महोदय,

3

श्री. राज. के. शिवाजी नाथ
13-3-19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 26-3-19 नियत।

न्यायालय
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
13-3-19



Nath
26/3/19
Mys

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

--

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0397 / 2019 / सागर / भू0रा0

हरीशंकर विरूद्ध रघुराजसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-8-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर भी उनके अभिभाषक उपरांत अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।</p> <p> </p>	